महिलाओं पर अत्याचार

4737. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में हेज के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

(ख) यदि हां तो वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और बिहार में घटित इस प्रकार की घटनाओं और इन राज्यों में जल कर मरने वाली महिलाओं की संख्या कितनी-कितनी थी ।

(ग) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में महिलाओं पर किये जाने वाले अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिये नए उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

□ **गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी एम० सईद)** : (क) और (ख) वर्ष 1992 और 1993 के दौरान दहेज, जलाये जाने इत्यादि के कारण राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचारों को दर्शाता श्रेणीवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है देखिए परिशिष्ट 170 [अनुपत्र सं० 93]

(ग) और (घ) महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना उसकी जांच करना, उसका पता लगाना, और उसकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की जिमेम्दारी है तथापि, इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय शुरू किये हैं । दहेज निषेध अधिनियम (1961) में वर्ष 1984 तथा 1986 में संशोधन किया गया था ताकि कानून को अधिक कड़ा बनाया जा सके । भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1972) में संशोधन किया गया है ताकि न केवल दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से निपटा जा सके बल्कि विवाहित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार संबंधी मामलों से भी निपटा जा सके । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को समय-समय पर इस आशय के अनुदेश/दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से संबंधित विधायन को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सके । इसके अलावा महिलाओं को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है । जागृति फैलाने वाले शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डी०डब्ल्यू०ए० सी० आर० पी०) तथा महिला साक्षरता कार्यक्रम कुछ ऐसे अन्य उपाय हैं जो महिलाओं का स्तर सुधारने के लिए किए जा रहे हैं ।

Demands of Kashmiri Employees

4738. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the following longstanding demands of the Kashmiri employees who were driven out of the Kashmir Valley by terroriss are under Government's consideration : (i) to treat the entire period of displacement since they had to forcibly quit their homes, as on duty; (ii) provide them job outside the area affected by ter-rorist activities; (iii) provide full benefit to them as laid down in the Jammu and Kashmir C.S.R. in the manner they were applicable earlier in the valley like house rent and other allowances; (iv) provide dislocation allowance to enable them to build residential accommodation: (v) provide job opportunities to unemployed youths; and (vi) provide educational facilites to children with stable period of study and exams; and